...लय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

...संख्या :–60 / 2021
...S NO:- 2021/108
...सीन अधिकारी :–श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक: 02.07.2021

1. पारस कुमार आ0 उच्छबलाल जाति महाजन निवासी निवासी नैनवां हाल निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. विनोद कुमार आ0 उच्छबलाल जाति महाजन निवासी निवासी देई तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. सूरज कुमार आ0 गोपाल लाल जाति महाजन निवासी नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–वादीगण–

बनाम

1. हंसराज आ0 रंगलाल जाति गुजर निवासी फूलेता तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. रमेश आ0 रंगलाल जाति गुजर निवासी फूलेता तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

वादीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी।
प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री भारत भूषण गौतम।

निर्णय दिनांक 20.04.2022

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है यह कि ग्राम फूलेता तहसील नैनवां जिला बूंदी राज0 की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या नया 253 पुराना 145 के अनुसार खसरा संख्या 542 / 1067 रकबा 0.4854 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार व आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है जिसका वादीगण ने वर्ष 2014 में जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीद कर मौके पर कब्जा किया था तब से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज रहकर लगातार खेती काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी वादीगण ने ही उक्त भूमि में फसल बोने के लिये हांक जोत कर तैयार कर रखा है। यह कि वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को दौराने वाद इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाए कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर चले आ रहे वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एवं हक अधिकार में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, वादीगण को जबरन बेदखल कर भूमि पर कब्जा नही करें तथा ऐसा कार्य अन्य से भी नही करावें साथ ही जबरन ताकत के बल पर भूमि में किसी प्रकार से पक्का निर्माण कार्य नही करे ऐसा कार्य किसी अन्य से भी नही करावें। अपने वाद के समर्थन में वादी ने शपथ–पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

वाद पत्र में पक्षकारान ने दिनांक 19.04.2022 को राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फुलेता तहसील नैनवां जिला बूंदी राज0 की जमाबंदी सम्वत् 2076–79 के खाता संख्या 253 पुराना 145 के अनुसार खसरा संख्या 542 / 1067 रकबा 0.4854 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर वादीगण बहैसियत खातेदार काबिज रहकर खेती करते चले करते चले आ रहे है। यह कि उक्त भूमि को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य [illegible] आपस में राजीनामा के आधार पर निस्तारण हो गया है। राजीनामा के मुताबिक [illegible] उक्त भूमि को किसी प्रकार से कब्जा नही करेंगे न ही वादीगण के शांति पूर्ण कब्जे [illegible] बाधा उत्पन्न करेंगे। ऐसा कार्य किसी अन्य से भी नही करवायेंगे [illegible] जबरन ताकत के बल पर से बेदखल नही करेंगे। यह कि वादीगण ने [illegible] उक्त भूमि में से दक्षिणी ओर की भूमि जिसकी साईज पूर्वी भुजा 48 फीट, पश्चिमी भुजा [illegible] फीट, उत्तरी भुजा 85 फुट, दक्षिणी भुजा 70 फीट कुल 3410 वर्गफीट भूमि को प्रतिवादीगण को [illegible]7,638/– रूपये अक्षर एक लाख सात हजार छः सौ अड़तीस रूपये के प्रतिफल स्वरूप बैचान कर कब्जा संभला दिया है। उक्त [illegible] की गई भूमि को प्रतिवादीगण अपनी इच्छा अनुसार उपयोग उपभोग करने को स्वतंत्र होंगे। वादीगण का उक्त हिस्से की भूमि से कोई लेना देना शेष नही रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.29 16:51:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)
COURT DECISION 2022
Scanned with CamScanner

हमने वाद–पत्र, शपथ–पत्र व प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड जमाबन्दी व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत
...मा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। बहस वाद पत्र सुनी गई। राजीनामा के आधार पर वाद
...ी किये जाने में दोनों पक्षों के पक्षकारान ने सहमती दी है। अतः मुताबिक राजीनामा वादी का
वाद डिकी किया जाता है। ग्राम फूलेता तहसील नैनवां जिला बूंदी राज० की जमाबन्दी सम्वत् 2076
से 2079 के खाता संख्या नया 253 पुराना 145 के अनुसार खसरा संख्या 542 / 1067 रकबा 0.4854
हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा पाबंध
पाबन्ध किया जाता है कि वे वादीगण को उपरोक्त कृषि भूमि पर से बेदखल कर स्वयं कब्जा नही
करे, किसी प्रकार का पक्का निर्माण नही करावे, वादी के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी
प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.29 16:51:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner